न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 17/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/21)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हरपाल सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर। 2. सुखपाल सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर।		1. बलदेव सिंह पुत्र कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. बिशन सिंह पुत्र पठाना सिंह जाति जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. भजन सिंह पुत्र कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. उर्मिला देवी पत्नी भूषण कुमार जाति अग्रवाल निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 5. गौरव कुमार पुत्र भूषण कुमार जाति अग्रवाल निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 28.01.2025

उपस्थितः1. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण

—निर्णय— **दिनांकः 06.08.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 04 के मुरब्बा नम्बर 24, 69/17 की कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 5 के मुरब्बा नम्बर 24 की कुल 3.112 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 6 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 2.935 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहुलियत के अनुसार सहमति से वाहमी बंटवारा किया हुआ है। वाहमी बंटवारानामा अनुसार वादीगण का कब्जा काश्त चक 47 एफ के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 0.020 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 3 ता 8 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 9 की 0.171 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/2 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 ता 19 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 20 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 24 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.227 हैक्टेयर एंव मुरब्बा नम्बर 69/17 की 0. 177 हैक्टेयर भूमि, कुल 5.077 हैक्टेयर भूमि पर है। उक्त वाहमी बंटवारा के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने रकबा पर पिछले काफी समय काश्त करते आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन दोनो का कब्जा काश्त के अनुसार रकवा अंकित नहीं है। हालांकि वादीगण ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादीगण का जीवन निर्वाह व उज्ज़वल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काश्त के रकवा अंकित नहीं है। आज से 2 रोज पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाव नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 04 के मुरब्बा नम्बर 24, 69/17 की कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 5 के मुरब्बा नम्बर 24 की कुल 3.112 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 6 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 2.935 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण को वाहमी बंटवारा में प्राप्त भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद विन्दू कायम नहीं किए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताविक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथप एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का वाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 04 के मुरब्बा नम्बर 24, 69/17 की कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 5 के मुरब्बा नम्बर 24 की कुल 3.112 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 6 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल2.935 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण हरपाल सिंह, सुखपाल सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में पंत्राक 1805 दिनांक 09.07.2025 से बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 04 के मुरब्बा नम्बर 24, 69/17 की कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 5 के मुरब्बा नम्बर 24 की कुल 3.112 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 6 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 2.935 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.		रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	हरपाल सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर। सुखपाल सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एफ एफ बडोपल तहसील श्रीकरणपुर।	47 एफ	24	3 ता 8	1.518 हैक्टेयर	नहरी	13.50
				9	0.171 हैक्टेयर	नहरी	1.52
				13/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				13/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				14 ता 19	1.518 हैक्टेयर	नहरी	13.50
				20	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				21	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				22	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				23	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

				24	0.228 हैक्टेयर	नहरी	20.3
				25	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
			69/17		0.171 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			37	1	0.020 हैक्टेयर	नहरी	0.18
				2	0.020 हैक्टेयर	नहरी	0.18
				3	0.020 हैक्टेयर	नहरी	0.18
				4	0.020 हैक्टेयर	नहरी	0.18
				5	0.020 हैक्टेयर	नहरी	0.18

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर